छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, दिनांक 1/6/2020

क्रमांक एफ 20–105/2017/11/6:: चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य की औद्योगिक नीति 2019–24 के बिन्दु क्रमांक 15.13 के अनुक्रम में Bespoke Policy के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में उपार्जित किये जा रहे धान में से राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के उपरांत शेष बचे धान का उपयोग करने हेतु बायो–एथेनाल उत्पाद इकाईयों की स्थापना किया जाना आवश्यक है,

अतएव राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य में बायो–एथेनाल उत्पाद इकाईयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

(अ) औद्योगिक नीति 2019–24 के बिंदु क्रमांक 15.13 के अनुसार रु. 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले एथेनॉल उत्पादक इकाईयों को Bespoke Policy के तहत निम्नानुसार सुविधाओं हेतु छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभागों द्वारा निर्देश जारी करने तथा प्रत्येक संबंधित इकाई के साथ अनुबंध किया जावे जिससे निवेशकों को भविष्य में किसी निर्णय से विपरीत प्रभाव न हों:–

1 *वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को भारत सरकार द्वारा अनुमति के अधीन मार्कफेड से धान की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल दर) + प्रशासकीय व्यय तथा वास्तविक परिवहन की दर पर कच्चे माल धान की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त न होने की स्थिति में एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक धान की खरीदी उपरांत राज्य की मंडियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।*

2 *राज्य में बायो एथेनॉल रिफायनरी हेतु एमओयू हस्ताक्षरित करने वाली कंपनी को इकाई की स्थापित क्षमता का प्रथमतः न्यूनतम 60 प्रतिशत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में मार्कफेड से धान खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल दर+ प्रशासकीय व्यय तथा वास्तविक परिवहन दर) दर पर खरीदना अनिवार्य होगा, जिसकी न्यूनतम मात्रा 100 किलोलीटर प्रतिदिन तक की उत्पादन क्षमता वाली एथेनॉल इकाई के अनुसार होगी। 100 किलोलीटर प्रतिदिन तक की उत्पादन क्षमता हेतु आवश्यक शेष 40 प्रतिशत क्षमता हेतु आवश्यक धान की खरीदी राज्य की मण्डियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से अतिरिक्त धान क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।*

3 *100 किलोलीटर प्रतिदिन से अधिक क्षमता वाली एथेनाल इकाईयों को प्रथमतः 60 प्रतिशत आवश्यक धान की मार्कफेड से अनिवार्य खरीदी उपरांत शेष क्षमता हेतु राज्य की मडियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से अतिरिक्त धान क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।*

इसकी पुष्टि हेतु कृषि विभाग/खाद्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र जारी करने हेतु व्यवस्था करेगा।

4 मार्कफेड से धान की न्यूनतम खरीद मात्रा हेतु आवश्यक धान की मात्रा का निर्धारण ऊर्जा विभाग/छत्तीसगढ़ बायो डीजल अथॉरिटी द्वारा किया जावेगा। ऊर्जा विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार "छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित धान से प्राप्त चावल में Startch content की की मात्रा लभगग 74% w/w पाई जाती है, जिससे बायो एथेनाल का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त आकड़े के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रति 2.25 कि.ग्रा. धान संसाधित (Processed) करने पर 01 लीटर बायो–एथेनॉल उत्पादन होगा।

तदनुसार प्रत्येक 100 किलोलीटर (1,00,000 लीटर) प्रतिदिन बायो–एथेनॉल उत्पाद संयंत्र में प्रतिदिन अनुमानित 2,25,000 कि.ग्रा. धान की आवश्यकता होगी, जिसका 60 प्रतिशत हेतु प्रतिदिन आवश्यक धान की मात्रा (100 X 1000 X 2.25 X 60%) 1,35,000 किलोग्राम आकलित होती है।"

परन्तु, भारत सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त न होने की स्थिति में एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक धान की खरीदी राज्य की मंडियों में पंजीकृत कृषकों/संस्थाओं से क्रय किया जाना अनिवार्य होगा।

5 छत्तीसगढ़ शासन, आबकारी विभाग द्वारा राज्य में बायो एथेनॉल हेतु एमओयू हस्ताक्षरित इकाई को बायो–एथेनाल उत्पादन के साथ–साथ उत्पादित बाय–प्रोडक्ट ई.एन.ए. (Extra Neutral Alcohol) के राज्य में उत्पादन एवं राज्य के बाहर विक्रय की अनुमति दी जायेगी। साथ ही इस संबंध में संबंधित इकाई के साथ सक्षम स्तर के अधिकारी के साथ अनुबंध की व्यवस्था की जायेगी।

साथ ही शर्त यह होगी कि "राज्य में बायो एथेनॉल के साथ–साथ उत्पादित बाय प्रोडक्ट ई.एन.ए. उत्पादन करने वाली इकाईयों के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा देय अनुज्ञप्ति फीस, आबकारी शुल्क एवं अन्य फीस का संदाय करना होगा। उत्पादित बायो एथेनॉल को विप्रकृत (डिनेचड) ऐसी रीति से किया जाना होगा जो आबकारी विभाग द्वारा इस निमित्त निहित किया जाये।"

उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत हुए निर्णय के अनुसार समस्त संबंधित विभाग अपने विभाग में सभी सुसंगत कार्यवाही पूर्ण करेंगें।

यह अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझी जायेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

— हस्ता. —

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–105/2017/11/(6) नवा रायपुर दिनांक 1/6/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
5. संचालक, उद्योग संचालनालय, उद्योग भवन, रायपुर
6. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
7. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....
8. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

4 JUN 2020